न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा

आपूर्ति विविध वाद संख्या– 08/2015,
विन्देश्वरी भगत, पिता– स्व० जगदीश भगत,
साकिन– सपहा, थाना– सौरबाजार,
जिला– सहरसा,
बनाम
बिहार सरकार

06.12.2019

—::आदेश::—

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ आवेदक की ओर से दाखिल आवेदनं के आलोक में किया गया है। आवेदक का कथन है कि दिनांक 24.03.1988 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य के द्वारा इनके आवास पर छापामारी की गयी। छापामारी के दौरान इनके आवास से 33 क्वींटल चावल, चार क्वींटल गेंहूँ, 13 क्वींटल चना और 08 क्वींटल धान जप्त किया गया। उक्त धटनाक्रम को लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 07 के अन्तर्गत इनके विरूद्ध सौरबाजार थाना में कांड संख्या 62/88, दर्ज किया गया।

सौरबाजार थाना कांड संख्या 62/88, से संबंधित मामले के सुनवाई करने के पश्चात् विशेष न्यायाधिश द्वारा भी इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा– 07 के अन्तर्गत दोषी पाया गया। छापामारी में जप्त अनाज के संबंध में समाहर्त्ता न्यायालय में इनके विरूद्ध अधिग्रहण वाद संख्या 12/88–89 की कार्यवाही प्रारंभ हुई। समाहर्त्ता महोदय द्वारा मामले की सुनवाई किये जाने के बाद जप्त अनाज को अधिग्रहित किये जाने का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त अनाज को बाजार दर बिक्री कराये जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया गया।

आवेदक का आगे कहना है कि उक्त आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रि०अपील संख्या 62/1995, दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायाल, पटना द्वारा दिनांक 22.04.2011 के आदेश से इनके अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए स्पेशल वाद संख्या 07/88, अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.05.95 को खारिज कर इन्हें बेल बाँड के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।

आवेदक का पुनः कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 07 से संबंधित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः इनके आवास से छापामारी के दौरान जप्त खाद्यान्न की राशि इन्हें वापस किया जाय। इनके द्वारा जप्ती के समय और वर्तमान में अनाज के बाजार दर में अंतर होने के संबंध में भी उचित आदेश दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्रतिवादी राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि चूँकि आवेदक के विरूद्ध दर्ज किए मामले में सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है। अत उक्त मामले का लेकर प्रारंभ अधिग्रहण वाद संख्या 12/88–89, के अन्तर्गत, जप्त अनाज से प्राप्त राशि आवेदक को वापस किया जाना उचित है।

दोनों पक्ष को सुना व अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। मामले की वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 24.03.1988 को आरक्षी उपाधीक्षक, सहरसा तथा सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा सौरबाजार थानान्तर्गत ग्राम सपहा के विन्देश्वरी भगत (आवेदक), पिता–

जगदीश भगत के घर तथा मील पर छापामारी की गयी। छापामारी के क्रम में उनके घर से 28 क्वींटल चावल व मिल परिसर से 05 क्वींटल चावल, 04 क्वींटल गेहूँ, 13 क्वींटल चना और 08 क्वींटल धान जप्त कर सौरबाजार थाना में श्री भगत के विरूद्ध धारा 07 ई०सी० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जप्त अनाज को लेकर समाहर्त्ता न्यायालय में अधिग्रहण वाद संख्या 12/88–89, की कार्यवाही प्रारंभ हुई। अधिग्रहण वाद संख्या 12/88–89, के अन्तर्गत उक्त जप्त अनाज को दिनांक 06.06.88 के आदेश से अधिग्रहित किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा को अधिग्रहित अनाज को बाजार दर पर बिक्री कराये जाने हेतु निदेशित किया गया, जिसकी सूचना मेमो संख्या 1116–2, दिनांक 13.06.88 से अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को दी गयी।

आवेदक को सुनने व उनके तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त मामले से संबंधित आरापों से माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आवेदक को मुक्त किया जा चुका है। राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक भी आवेदक के इस कथन से सहमत है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः इनके आवास व मिल परिसर से छापामारी के दौरान जप्त खाद्यान्न की राशि इन्हें वापस किया जाय।

अतः उभयपक्ष को सुनने व समस्त अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् आवेदक के अनुरोध को स्वीकृत किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को आदेश दिया जाता है कि आवेदक से आवेदन प्राप्त होने पर अधिग्रहण वाद संख्या–12/88–89, के अन्तर्गत अधिग्रहित अनाज के बिक्री से प्राप्त राशि को अविलम्ब आवेदक को वापस कर दिया जाय।। इसी विवेचन के आलोक में अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 31 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 14.01.20

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14/01/20.